महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग — राष्ट्रीय सम्मेलन 2025–26

प्रस्तुतकर्ता: अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग

महाराष्ट्र — विविधता में एकता

प्रगतिशील विचारों और साझा संस्कृति की भूमि

1

शिक्षा एवं ज्ञान

अल्पसंख्यक युवा भारत की शैक्षणिक उत्कृष्टता और बौद्धिक समृद्धि में योगदान दे रहे हैं

2

संस्कृति एवं सौहार्द

समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराएं महाराष्ट्र की सामाजिक एकता को और मजबूत बनाती हैं

3

राष्ट्र निर्माण

व्यापार, सामाजिक सेवा और लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण में सक्रिय भागीदारी

"हमारा अल्पसंख्यक समाज देश की ताकत है, कमजोरी नहीं"

प्रमुख चुनौतियाँ

1

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच

ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में अल्पसंख्यक युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्रवृत्ति की जानकारी नहीं मिल पाती

2

रोजगार एवं कौशल की कमी

सरकारी योजनाओं, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों की जागरूकता का अभाव बड़ी चुनौती है

3

पढ़ाई बीच में छोड़ने की समस्या

आर्थिक कठिनाइयों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कई विद्यार्थी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं

4

आयोग की क्षमता की सीमाएं

बढ़ती शिकायतें, सीमित संसाधन, कम कर्मचारी और जिला स्तर पर मजबूत पहुँच की आवश्यकता

5

सामाजिक भेदभाव

कई स्थानों पर सामाजिक भेदभाव और छात्रवृत्ति में देरी जैसी शिकायतें अभी भी सामने आती हैं

6

जागरूकता का अभाव

अधिकारों, कानूनी सुरक्षा और सरकारी कल्याण योजनाओं की जानकारी अल्पसंख्यकों तक नहीं पहुँचती

वर्ष 2025–26 की प्रमुख गतिविधियाँ

01 शिकायत निवारण

जिला स्तर पर सुनवाई और शिकायतों का पारदर्शी समाधान

02 जनजागरण अभियान

अधिकारों और योजनाओं पर महाराष्ट्र भर में जागरूकता कार्यक्रम

03 PM 15 सूत्रीय कार्यक्रम

सभी सरकारी विभागों के साथ समन्वय कर कार्यान्वयन

04 छात्रवृत्ति जागरूकता

अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को सभी छात्रवृत्तियों का लाभ दिलाना

05 युवा सशक्तिकरण

अल्पसंख्यक युवाओं के लिए कौशल विकास और क्षमता निर्माण

06 अंतर-विभागीय समन्वय

शिक्षा, पुलिस और राजस्व विभागों के साथ सक्रिय सहयोग

ऐतिहासिक मध्यस्थता

125 वर्ष पुराने धार्मिक एवं संपत्ति विवाद का समाधान — मात्र 2 सुनवाईयों में

नागपुर का 125 वर्ष पुराना शिया-दाऊदी बोहरा समाज का धार्मिक एवं संपत्ति विवाद
केवल दो सुनवाईयों में शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया गया

1 125 वर्ष पुराना विवाद

नागपुर में एक गहरे धार्मिक एवं संपत्ति विवाद, जो एक सदी से अधिक समय से अनसुलझा था

2 केवल 2 सुनवाईयों में समाधान

आपसी संवाद, विश्वास और आयोग के हस्तक्षेप से रिकॉर्ड समय में शांतिपूर्ण समाधान

3 साम्प्रदायिक एकता की मिसाल

सामाजिक सौहार्द और शिया-दाऊदी बोहरा समाज की एकता की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि

टाइम्स ऑफ इंडिया, नागपुर — समाचार पत्र कटिंग

THE TIMES OF INDIA, NAGPUR
THURSDAY, NOVEMBER 13, 2025

TIMES CITY

Historic Mediation: 125-Yr-Old Religious & Property Row Settled In 2 Hearings

Maha Minorities Commission Resolves Shia Dawoodi Case

Sarfaraz Ahmed
@timesofindia.com

CHIMTHANAWALA VS MAHDI BAGH SECTARIAN DISPUTE ENDS

Nagpur: In a landmark reconciliation between two breakaway Shia Dawoodi jamaats, the Maharashtra State Minorities Commission successfully mediated a peaceful resolution to the 125-year-old Chimthanawala versus Mahdi Bagh sectarian dispute — one of India's longest-running religious and property conflicts. The breakthrough was achieved under the chairmanship of minority commission chief Pyare Khan following two hearings that brought both sides to a mutual agreement, as per a press statement released by the state minorities commission on Wednesday.

The commission's order ended a bitter conflict that had persisted since the late 19th century over leadership and property succession within the Mahdi Bagh Institution. On January 21 this year, both groups signed a settlement, and the final order was issued on November 11, as per the settlement deed accessed by TOI.

"This is not merely the end of a legal battle but the beginning of social harmony. After 125 years, the bitterness has finally ended," said Khan, calling the settlement "a triumph of dialogue and mutual understanding".

The dispute traces back to 1840, after the passing away of the 46th Dai of Dawoodi Bohra community, Syedna Badruddin Saheb, in Bombay, which triggered a succession conflict, as per the press statement. Some refused to recognise Najmuddin as the 47th Dai. By 1891, Maulana Malak Saheb and his followers established the Atba-e-Malak Jamaat and Mahdi Bagh Institution in Nagpur. Following Malak Saheb's death in 1899, the sect split into two factions — Mahdi Bagh and Chimthanawala — over leadership claims. The Mahdi Bagh community recognised Maulana Badruddin Ghulam Hussain Malak Saheb as its religious head, while the Chimthanawala group followed Maulana Abdul Qadir Chimthanawala Saheb. Abdul Qadir Saheb and 13 followers left Mahdi Bagh and settled near Itwari Railway Station in Nagpur, as per the press statement. The split led to decades of acrimony involving over ₹4,000-crore properties, allegations of religious misconduct, and misuse of funds.

Despite years of legal proceedings in the Bombay High Court and Supreme Court, no resolution had been reached. Some of India's most prominent legal figures represented the parties.

After decades of stalemate, the commission intervened earlier this year when 75 members of the Mahdi Bagh Institution filed a complaint, alleging religious and property rights violations by the Chimthanawala group. The first hearing took place on January 7, 2025, in Mumbai, attended by representatives of both sides and counsel RS Singh and Abdullah Khan.

Following persuasive mediation by Khan, both parties agreed on January 21 to an amicable settlement.

Under the agreement, properties listed under Special Civil Suit No. 143/1967 were recognised as belonging to the Mahdi Bagh Waqf, to be managed by Maulana Amiruddin Malak Saheb, while Maulana Abde Ali Chimthanawala would administer three trusts — Dawoodi Atba-e-Malak Wakeel, Atba-e-Humayun, and Baitul Aman. Both sides pledged not to interfere in each other's religious activities and to withdraw all pending cases nationwide.

Sadique Razzak Chimthanawala, son of Maulana Abde Ali Saheb Chimthanawala, said, "We are content with the settlement deed."

Afzal Mehdi, a member of the legal team from Mahdi Bagh, said both communities are happy and satisfied the dispute has been amicably resolved. "I thank minority panel chief Pyare Khan. Today is historic day. Our relations with the Chimthanawala communities have improved. I hope no such dispute will arise in future," he said.

अकोला जिला दौरा — कड़ी कार्रवाई

शिक्षा में भ्रष्टाचार के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता — आयोग का स्पष्ट संदेश

आयोग का दौरा — अकोला

अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण

अल्पसंख्यक दर्जे का दुरुपयोग करने वाले स्कूलों की जांच — गुन्हे दर्ज कराए गए

कई गैर-अनुपालक स्कूलों का अल्पसंख्यक दर्जा रद्द करने के निर्देश दिए गए

स्पष्ट संदेश: शिक्षा के नाम पर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा

शलार्थ आईडी घोटाला — पारदर्शिता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

शिक्षा क्षेत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में आयोग का ठोस प्रयास

आयोग ने शलार्थ आईडी घोटाले के मामलों को गंभीरता से उठाया
जांच प्रक्रिया प्रारंभ कराई गई — पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी

1

मुद्दा उठाया गया

आयोग ने शलार्थ प्रणाली में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं को सामने लाया, जो अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन और रिकॉर्ड को प्रभावित कर रही थीं

2

जांच प्रारंभ की गई

औपचारिक जांच प्रक्रिया शुरू की गई; संबंधित विभागों को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए नोटिस दिया गया

3

जवाबदेही सुनिश्चित

स्पष्ट संकेत — अल्पसंख्यक कल्याण को प्रभावित करने वाली किसी भी सरकारी प्रणाली के दुरुपयोग को तत्काल संबोधित किया जाएगा

अल्पसंख्यक अधिकार दिवस — 18 दिसंबर

आयोग की प्रमुख उपलब्धि — राज्यभर में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस का सफल आयोजन

संयुक्त राष्ट्र ने 18 दिसंबर 1992 को राष्ट्रीय, वांशिक, धार्मिक एवं भाषिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों का घोषणापत्र स्वीकृत किया

01

शासन परिपत्र जारी

महाराष्ट्र शासन ने 18 दिसंबर को 'अल्पसंख्यक अधिकार दिवस' के रूप में मनाने के निर्देश सभी जिलाधिकारी एवं शिक्षाधिकारियों को दिए

02

जिला स्तरीय कार्यक्रम

सभी जिलों में विद्यालय एवं महाविद्यालयों में निबंध, वक्तृत्व स्पर्धा, जागरूकता कार्यक्रम एवं व्याख्यानमाला का आयोजन

03

विद्यार्थी सहभागिता

कक्षा 8 से स्नातक तक के विद्यार्थियों के लिए भित्ति पत्र, निबंध एवं वक्तृत्व स्पर्धा — प्रत्येक जिले को रु. १०,०००/- अनुदान

04

अधिकारों के प्रति जागरूकता

अल्पसंख्यक नागरिकों को उनके संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों की जानकारी देने हेतु प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में विशेष कार्यक्रम

शासन परिपत्र — महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग

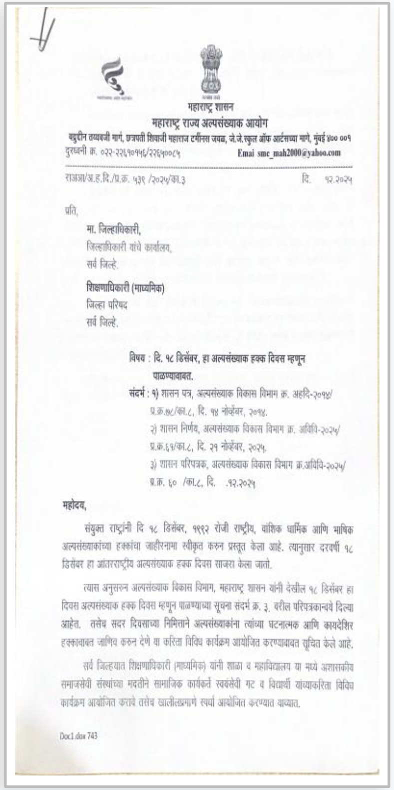

महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग
बदुरीन तय्यबजी मार्ग, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मीनस जवळ, जे.जे.स्कुल ऑफ आर्टसच्या मागे, मुंबई ४०० ००१
दुरध्वनी क्र. ०२२-२२६१०१५६/२२६१००८५ Emai smc_mah2000@yahoo.com

राअआ/अ.ह.दि./प्र.क्र. ५३९ /२०२५/का.३ दि. १२.२०२५

प्रति,
मा. जिल्हाधिकारी,
जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालय,
सर्व जिल्हे.

शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)
जिल्हा परिषद
सर्व जिल्हे.

विषय : दि. १८ डिसेंबर, हा अल्पसंख्याक हक्क दिवस म्हणून पाळण्याबाबत.

संदर्भ : १) शासन पत्र, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. अहदि-२०१४/ प्र.क्र.७८/का.८, दि. १४ नोव्हेंबर, २०१४.
२) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. अविवि-२०२५/ प्र.क्र.६१/का.८, दि. २१ नोव्हेंबर, २०२५.
३) शासन परिपत्रक, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.अविवि-२०२५/ प्र.क्र. ६० /का.८, दि. .१२.२०२५

महोदय,

संयुक्त राष्ट्रांनी दि १८ डिसेंबर, १९९२ रोजी राष्ट्रीय, वांशिक धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचा जाहीरनामा स्वीकृत करुन प्रस्तुत केला आहे. त्यानुसार दरवर्षी १८ डिसेंबर हा आंतरराष्ट्रीय अल्पसंख्याक हक्क दिवस साजरा केला जातो.

त्यास अनुसरुन अल्पसंख्याक विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी देखील १८ डिसेंबर हा दिवस अल्पसंख्याक हक्क दिवस म्हणून पाळण्याच्या सूचना संदर्भ क्र. ३. वरील परिपत्रकान्वये दिल्या आहेत. तसेच सदर दिवसाच्या निमित्ताने अल्पसंख्याकांना त्यांच्या घटनात्मक आणि कायदेशिर हक्काबाबत जाणिव करुन देणे या करिता विविध कार्यक्रम आयोजित करण्याबाबत सूचित केले आहे.

सर्व जिल्हयात शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी शाळा व महाविद्यालय या मध्ये अशासकीय समाजसेवी संस्थांच्या मदतीने सामाजिक कार्यकर्ते स्वयंसेवी गट व विद्यार्थी यांच्याकरिता विविध कार्यक्रम आयोजित करावे तसेच खालीलप्रमाणे स्पर्धा आयोजित करण्यात याव्यात.

Doc1.dox 743

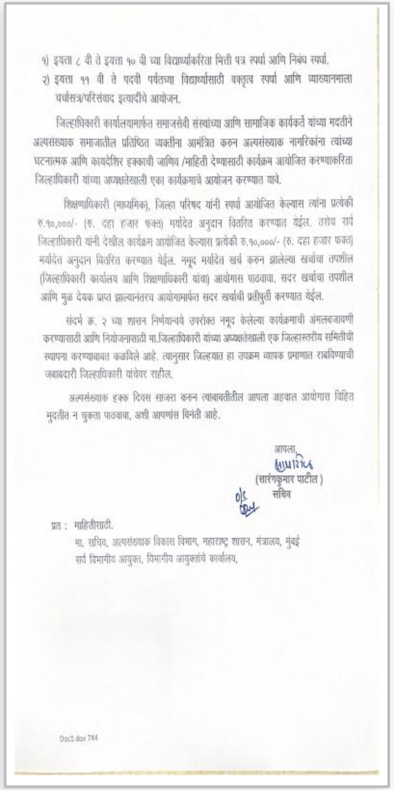

१) इयत्ता ८ वी ते इयत्ता १० वी च्या विद्यार्थ्यांकरिता भित्ती पत्र स्पर्धा आणि निबंध स्पर्धा.
२) इयत्ता ११ वी ते पदवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी वक्तृत्व स्पर्धा आणि व्याख्यानमाला चर्चासत्र/परिसंवाद इत्यादींचे आयोजन.

जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत समाजसेवी संस्थांच्या आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या मदतीने अल्पसंख्याक समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्तींना आमंत्रित करुन अल्पसंख्याक नागरिकांना त्यांच्या घटनात्मक आणि कायदेशिर हक्काची जाणिव /माहिती देण्यासाठी कार्यक्रम आयोजित करण्याकरिता जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात यावे.

शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद यांनी स्पर्धा आयोजित केल्यास त्यांना प्रत्येकी रु.१०,०००/- (रु. दहा हजार फक्त) मर्यादेत अनुदान वितरित करण्यात येईल. तसेच सर्व जिल्हाधिकारी यांनी देखील कार्यक्रम आयोजित केल्यास प्रत्येकी रु.१०,०००/- (रु. दहा हजार फक्त) मर्यादेत अनुदान वितरित करण्यात येईल. नमूद मर्यादेत खर्च करुन झालेल्या खर्चाचा तपशील (जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि शिक्षणाधिकारी यांचा) आयोगास पाठवावा. सदर खर्चाचा तपशील आणि मुळ देयक प्राप्त झाल्यानंतरच आयोगामार्फत सदर खर्चाची प्रतीपुर्ती करण्यात येईल.

संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये उपरोक्त नमूद केलेल्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि नियोजनासाठी मा.जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना करण्याबाबत कळविले आहे. त्यानुसार जिल्हयात हा उपक्रम व्यापक प्रमाणात राबविण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांचेवर राहील.

अल्पसंख्याक हक्क दिवस साजरा करुन त्याबाबतीतील आपला अहवाल आयोगास विहित मुदतीत न चुकता पाठवावा, अशी आपणांस विनंती आहे.

आपला,
(सारंगकुमार पाटील)
सचिव

प्रत : माहितीसाठी.
मा. सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई
सर्व विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय,

Doc1.dox 744

अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति सफलता

आयोग के समय पर हस्तक्षेप से विद्यार्थियों के सपनों को मिली नई उड़ान

आयोग के हस्तक्षेप से अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को विदेश में उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्राप्त करने में सफलता मिली

1. **समय पर हस्तक्षेप**
   छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया में बाधाओं को दूर करने के लिए आयोग ने तत्काल कदम उठाए

2. **वैश्विक अवसर**
   विद्यार्थियों को विदेश में उच्च शिक्षा का अवसर मिला — नए क्षितिज खुले

3. **केवल सहायता नहीं**
   यह केवल मदद नहीं, बल्कि अल्पसंख्यक युवाओं के सपनों और भविष्य को नई दिशा देने का कार्य

4. **भविष्य के नेतृत्वकर्ता**
   सशक्त विद्यार्थी भारत और अपने समाज की सेवा में नेता बनकर लौटेंगे

आयोग अध्यक्ष के साथ अल्पसंख्यक विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के लिए रवाना होने से पहले

हमारा संकल्प — आगे की राह

"जब अल्पसंख्यक समाज सुरक्षित, शिक्षित और सशक्त होगा — देश और अधिक मजबूत बनेगा"

1 सुरक्षा एवं संरक्षण

प्रत्येक अल्पसंख्यक नागरिक को भय और भेदभाव के बिना जीने का अधिकार

2 सबके लिए शिक्षा

प्रत्येक बच्चे के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, छात्रवृत्ति और कौशल विकास

3 न्याय एवं समानता

त्वरित शिकायत निवारण और सभी समुदायों के लिए समान अवसर

4 साम्प्रदायिक सौहार्द

एकजुट और शांतिपूर्ण महाराष्ट्र के लिए समुदायों के बीच सेतु निर्माण

5 युवा सशक्तिकरण

अल्पसंख्यक युवाओं को कल के भारत में नेतृत्व करने के लिए तैयार करना

6 समावेशी विकास

कोई नागरिक पीछे न रहे — हर योजना, हर लाभ, हर अधिकार सबको मिले

धन्यवाद

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को हृदय से आभार

इस मंच पर विचार साझा करने का अवसर देने के लिए

समानता • सम्मान • अवसर • सौहार्द

आइए, हम सब मिलकर देश के प्रत्येक नागरिक के लिए

समानता, सम्मान, अवसर और सौहार्द सुनिश्चित करने का संकल्प लें।

जय हिन्द